


13/10/25

वकील पदकारण आ। प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र
आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद खारीज
किया गया वाद निस्तारित होने के कारण प्रार पत्र
अख्यार् निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाने से 1970
पक्ष अख्यार् निषेधाज्ञा उत्ती त्वत पर खारीज किया
जाकर। फगवली फैलल शुमाट होकर नम्बर ले कम
से दखिल दफत हो



उपखण्ड अधिकारी चिडावा



आपके द्वारा निवादा 1 वाद निस्तारित
13/10/25 को 25/10/25 तक 11 नं. निवादा पर

प्रमाणित हुआ है निस्तारित हुआ है
दिनांक 20/10/25
20/10/25